

COMPLETION CERTIFICATE

of Development Works in

OZONE CITY-2 PHASE IIIrd RESIDENTIAL SCHEME (PLOTTED)

FALLING AT VILLAGE - CHAWANDI KHURD KHASRA NO-197,198,546/199, 548/200,201,202,203,204, 205,
533/212,534/212,236/1,236/2,543/240,541/241,542/241/1,542/541/2,242,243,245,246,535/247,536/247,

FALLING AT VILLAGE -JAGMALHERI KHASRA NO-286/249,285/249/1,250,251,287/254/1,288/254,256,257,
297/258, 298/258.

FALLING IN VILLAGE BAMKHEDA KHASRA NO.-,1373/1199, TEH. TAPUKARA, DIST. KHER TAL TIJARA (RAJASTHAN)



DEVELOPER NAME: M/S AVS CONTRACTORS PVT. LTD.

O. K. BHARDWAJ
Architectural Chartered Engineer
Huda Regd.No. ENGG/FBD/14
HOBPAS Regd.No. 94/18-19
Membership No. 30487/2021

1.0 INTRODUCTION

The "OZONE CITY 2 Phase III" is a residential scheme (plotted), falling outside the development plan located at Khasra No. 197, 198, 546/199, 548/200, 201, 202, 203, 204, 205, 533/212, 534/212, 236/1, 236/2, 543/240, 541/241, 542/241/1, 542/541/2, 242, 243, 245, 246, 535/247, 536/247, at Village- CHAWANDI KHURD, Khasra No. 286/249, 285/249/1, 250, 251, 287/254/1, 288/254, 256, 257, 297/258, 298/258 at Village-Jagmalheri, Khasra No. 1373/1199 at village- BAMDKA, Dist. Khertal Tijara, RAJASTHAN. The scheme is proposed over the land area is **96747.40 Sqm**. It is residential township scheme for plotted development approved under the provisions of the Rajasthan Township Policy 2010. The Area distribution of the Land use & the area analysis of the Scheme is as follows

SNO.	Land Use	Area (In Sqm)	Area (In Sq. yrd)	Percentage
1.	Residential Area	51,962.80	62,146.99	53.71%
2.	Commercial	3,869.68	4,628.09	4%
3.	Informal Commercial	1,935.29	2,314.58	2%
A). TOTAL (1+2+3)		57,767.77	69,089.66	59.71%
4.	Facility/Community Facilities	9,674.91	11,571.09	10%
5.	Park	4,838.32	5,786.58	5%
6.	Road Area	24,466.40	29,261.57	25.29%
B). TOTAL (4+5+6)		38,979.63	46,619.24	40.29%
SCHEME AREA (A+B)		96747.40 SQM	11,5708.90 SQ.Yd.	100%
		96747.40 SQM		



O. K. BHARDWAJ
Architectural Chartered Engineer
Huda Regd.No. ENGG/FBD/14
HOBPAS Regd.No. 94/18-19
Membership No. 30487/2021

2.0 BRIEF DESCRIPTION OF THE TOWNSHIP POLICY 2010

The Scheme is Categorized as residential township which is envisaged under the Rajasthan Township Policy 2010. The guidelines for approval/completion of internal development works as per the policy are as follow:

In order to ensure quality development certain norms as mentioned below are being laid down. It is necessary that the developer should submit along with application for approval the following details:

- (i) Layout plan showing details of area to be utilized under plots, built up space, roads, open space for park, garden and play ground and other public utility and amenities, services, and facilities
- (ii) Details of nearby development (at least in the vicinity of 100 meters) along with its superimposition on sector plan.
- (iii) Details of internal development works as per specifications mentioned below
- (iv) Details of eco-friendly amenities provided
- (v) Plan showing HFL of major lakes, water body, if any

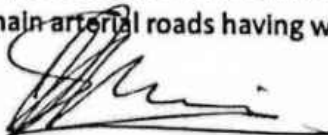
In Residential Schemes and other schemes internal development works such as Construction of roads, laying of power line and Street lighting. Laying of Water lines, Development of Water Sources (Tube well). Ducting for road crossing. Construction and development of Parks and services area, Plantation along roads sides and parks shall be done by the developer only.

Work for laying of sewer line, storm water drainage, overhead Water tanks shall be done by ULB at a combined level of various adjoining schemes for which necessary charges shall be paid by developer to the ULB as per details below:

- (i) Laying of sewer lines- Rs.50/- Per Sq m. of total area.
- (ii) Storm water drains - Rs. 40/- Per Sq m. of total area
- (iii) Construction of Over head tanks (optional for ULB) - Rs. 50/- Per Sqm. of total area

2.1 Construction of Roads

- (i) All the internal road networks including draft sector plan/master plan roads within the scheme are to be developed by the developer. The sector roads are to be accommodated.
- (ii) The internal roads should be minimum 9 meters wide where the length of the road is up to 100 meters and 12 meters wide where road length is more than 100 meters.
- (iii) However, as far as possible no row of plots should be more than 200 mtrs in length accept the sector plan / zonal plan/main arterial roads having width 18 M & above



O. K. BHARDWAJ
Architectural Chartered Engineer
Huda Regd.No. ENGG/FBD/14
HOBPAS Regd.No. 94/18-19
Membership No. 30487/2021

SNO.	Row	Paved width	Berms with (both side)
1	9 Meter	5.5 meter	1.5 meter
2	12 Meter	5.5 meter	2.5 meter
3	18 meter	5.5 meter(2 Lane)	2.5 meter
4	24 meter & above	2 Lane each 7.5 meter with divider	2.5 meter

2.2 For Paver Block Road

- Level and the Specifications shall be finalized by ULB Keeping the specifications laid down by IRC.
- Gradient shall be as per Indian Road Congress/CIRRI
- Granular Sub base (200mm compacted)
- 1st layer WBM/WMM Base (230mm compacted)
- 2nd layer Sand Bed (20-30mm compacted)
- 3rd layer Interlocked paver block (60-70mm Grade M30)

2.3 For Carpeting

- 1st layer WBM-90-45mm size (100mm compacted)
- 2nd layer WBM - 63 - 45mm Size(75mm Compacted)
- 3rd layer (crusher broken) WBM-53-22.4mm (75mm compacted)
- 20mm PMC with seal coat

2.4 Power Supply and Street Lighting

- The development of electrification, power network and power load requirement in any scheme shall be in accordance with the norms, rules & regulations of State electricity agency. After the completion of the electrification work, the developer shall handover the complete system to the concerned electricity distribution company.
- Street Lights - All the roads having above 18 meters width shall have divider as well as the street poles fixed on the divider having the provisions of underground cabling. Other roads will have streetlights on electric poles or single light poles erected on either side of the road. The distance between poles should not be more than 30 meters. The illumination levels of the roads shall be as per the standard of local electricity authority/ National Building Code.



O. K. BHARDWAJ
 Architectural Chartered Engineer
 Huda Regd.No. ENGG/FBD/14
 HOBPAS Regd.No. 94/18-19
 Membership No. 30487/2021

2.5 Water Supply

All the water lines should be underground having a provision of providing connections to the plot. The sizes of water pipe should be per PHED norms. The scheme should have underground water tank as well as overhead water tank as per PHED norms. The complete water supply shall be in accordance with the technical guidelines of the PHED.

2.6 Sewerage & Drainage

All the plots in the scheme should be well connected with the underground sewerage line with proper slope; the sewerage line should normally be located close to the boundary wall of the plots (within about 10 ft.) with a provision for connection of plots.

2.7 Horticulture & Plantation

All roads should have plantation tree guards on both sides having minimum of 30 trees per acre of the gross area. Trees of 5 feet or more height should be planted. All the parks should be developed by the developer and maintained by the developer till the scheme is completed and handed over to ULB or to the Resident Welfare Society.

2.8 Rain water Harvesting and Water recycling

Community rain water harvesting structures shall be constructed by developers. Similarly, water recycling shall be provided as per Building Regulations and water from all water outlets and drainages should be collected for recycling for gardening, washing the ULB



O. K. BHARDWAJ
Architectural Chartered Engineer
Huda Regd.No. ENGG/FBD/14
HOBPAS Regd.No. 94/18-19
Membership No. 30487/2021

3.0 DEVELOPMENT WORK OF "OZONE CITY 2 PHASE III" RESIDENTIAL SCHEME

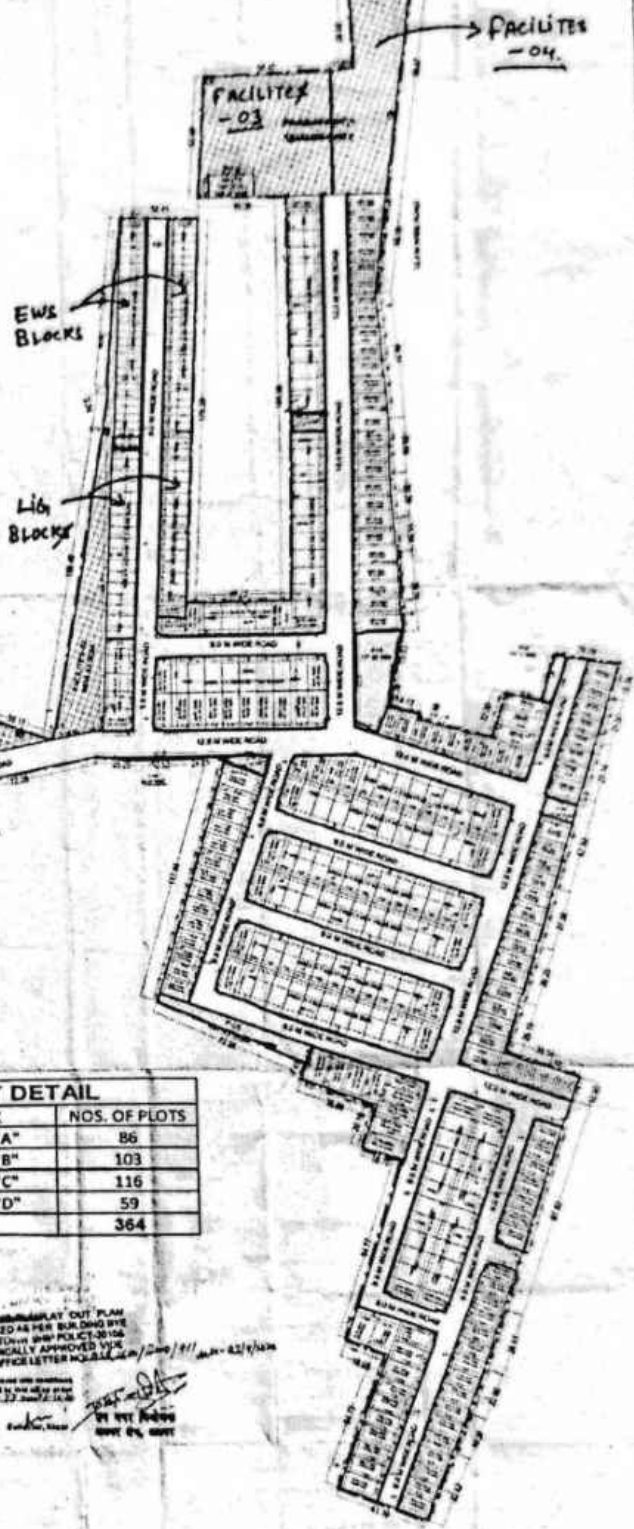
Sno.	Heading	Status	% Work Done
1.	SUB BASE & SUB GRADE (1 st and 2 nd Layer)	1 & 2 Layers Completed	100%
2.	Carpeting (3 rd layer)	Completed	100%
3.	Sewer Line	Completed	100%
4.	Water Supply	Completed	100%
5.	Electrification Complete Internal Work	Completed	100%
6.	Drainage & Water Harvesting Work	Completed	100%
7.	Parks & Facilities Development	Completed	100%
8.	Street Light	Completed	100%
9.	Tree Plantation work	Completed	100%
10.	Service duct pipe line in roads	Completed	100%
OVER ALL DEVELOPMENT WORK DONE IN PERCENTAGE			100%



O. K. BHARDWAJ
 Architectural Chartered Engineer
 Huda Regd.No. ENGG/FBD/14
 HOBPAS Regd.No. 94/18-19
 Membership No. 30487/2021

PROPOSED LAYOUT PLAN OF M/S AVS CONTRACTORS PVT.LTD.

AREA CALCULATION			
S.NO.	DESCRIPTION	AREA	
1	LAND AREA AS PER SURVEY	96747.40	
2	SURVEYOR'S 10.00% SHARE	9674.74	
3	NET LAND AREA	87072.66	
4	LAND AREA AS PER SURVEY	96747.40	
5	SURVEYOR'S 10.00% SHARE	9674.74	
6	NET LAND AREA	87072.66	
BUILDING AREA			
S.NO.	DESCRIPTION	AREA	
1	RESIDENTIAL AREA	87072.66	
2	COMMERCIAL AREA	87072.66	
3	INDUSTRIAL AREA	87072.66	
4	RECREATIONAL AREA	87072.66	
5	UTILITIES AREA	87072.66	
6	ROADS AREA	87072.66	
7	WATER RESERVES	87072.66	
8	LANDSCAPING	87072.66	
9	OTHERS	87072.66	
10	TOTAL	87072.66	



EWS/LIG PLOT REQUIREMENTS & EWS/LIG REQUIREMENTS	
RESIDENTIAL AREA	= 8200.57 SQ.M.
TOTAL REQUIRED EWS/LIG AREA = (8200.57/10%)	= 820.06 SQ.M.
PROPOSED EWS/LIG AREA:-	
EWS = 2811.15 SQ.M.	
LIG = 2641.47 SQ.M.	
TOTAL = 5452.62 SQ.M.	
PROVIDED	
TOTAL NO. OF EWS	= 58 NOS.
TOTAL NO. OF LIG	= 38 NOS.
TOTAL NO. OF EWS & LIG	= 96 NOS.

PLOT DETAIL		
S.NO.	BLOCK	NOS. OF PLOTS
1	BLOCK "A"	86
2	BLOCK "B"	103
3	BLOCK "C"	116
4	BLOCK "D"	59
TOTAL		364

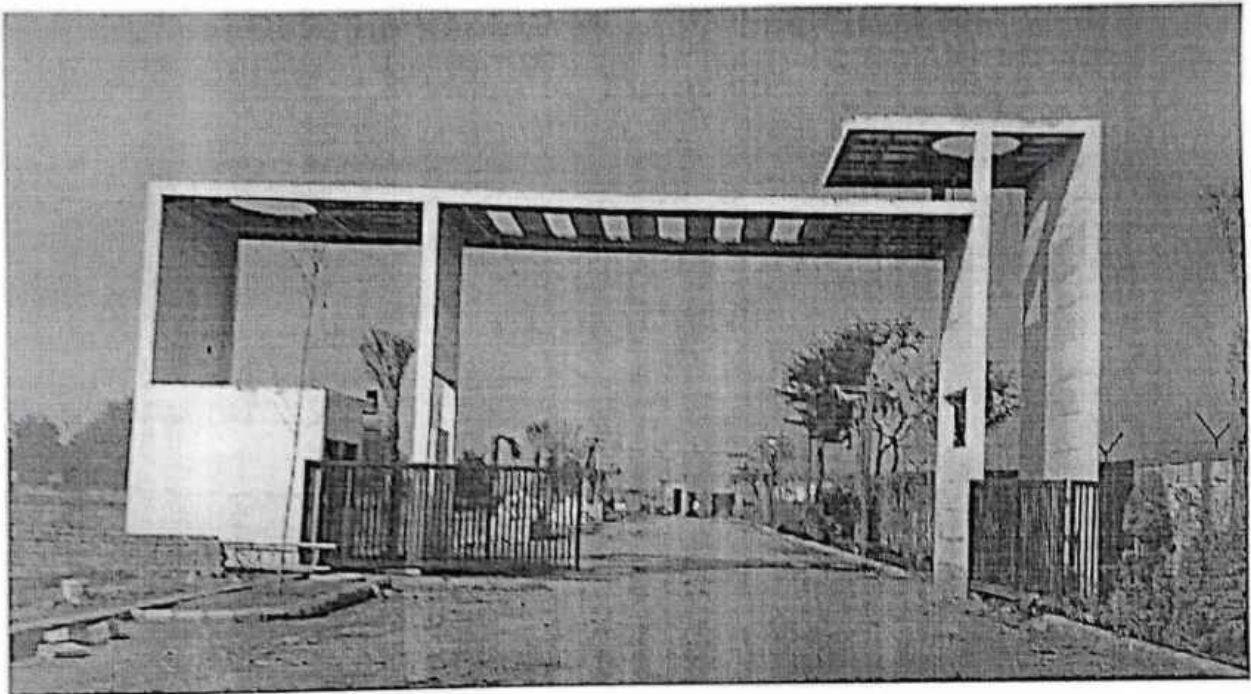
THIS LAYOUT PLAN HAS BEEN CHECKED AS PER SURVEYOR'S LAYOUT PLAN POLICY-2010. THIS OFFICE LETTER NO. 10/200/11 DATED 02/11/2011.

[Signature]
CHANDRAJ
 CHANDRAJ ENGINEER
 REGD. NO. ENGO/IBD/14
 18/11/2011
 NO. 30487/1021

PROJECT TITLE PROPOSED LAYOUT PLAN AT KINARA, REGD. NO. 18/11/2011 VILLAGE - CHANDRAJ, KINARA, DISTRICT - ALWAR, RAJ. NO. 10/200/11 DATED 02/11/2011	ARCHITECT'S SIGNATURE ARCHITECT CREATIVE STUDIO AR. MANSINGH MEENA 317, THIRD FLOOR, KRISHN SQUARE, OPP. MODERN PUBLIC SCHOOL, BHAGAT SINGH COLONY, BHILWADI, ALWAR (RAJ.) WEB - WWW.CSBHIWADI.COM EMAIL ID - INFO@CSBHIWADI.COM MOB: 09480478315, PH: 01493-49900
DEVELOPER'S M/S AVS CONTRACTORS PVT.LTD. 19-09-2020	OWNER'S SIGNATURE OWNER M/S AVS CONTRACTORS PVT.LTD.
DRAWING TITLE LAYOUT PLAN SCALE: 1:150	

Images of Development Works at Ozone City 2 Phase III Residential Township

MAIN GATE OF TOWNSHIP



O. K. BHARDWAJ
Architectural Chartered Engineer
Huda Regd.No. ENGG/FBD/14
HOBPAS Regd.No. 94/18-19
Membership No. 30487/2021

8

STREET LIGHT & ROAD



O. K. BHARDWAJ
Architectural Chartered Engineer
Huda Regd.No. ENGG/FBD/14
HOBPAS Regd.No. 94/18-19
Membership No. 30487/2021

9

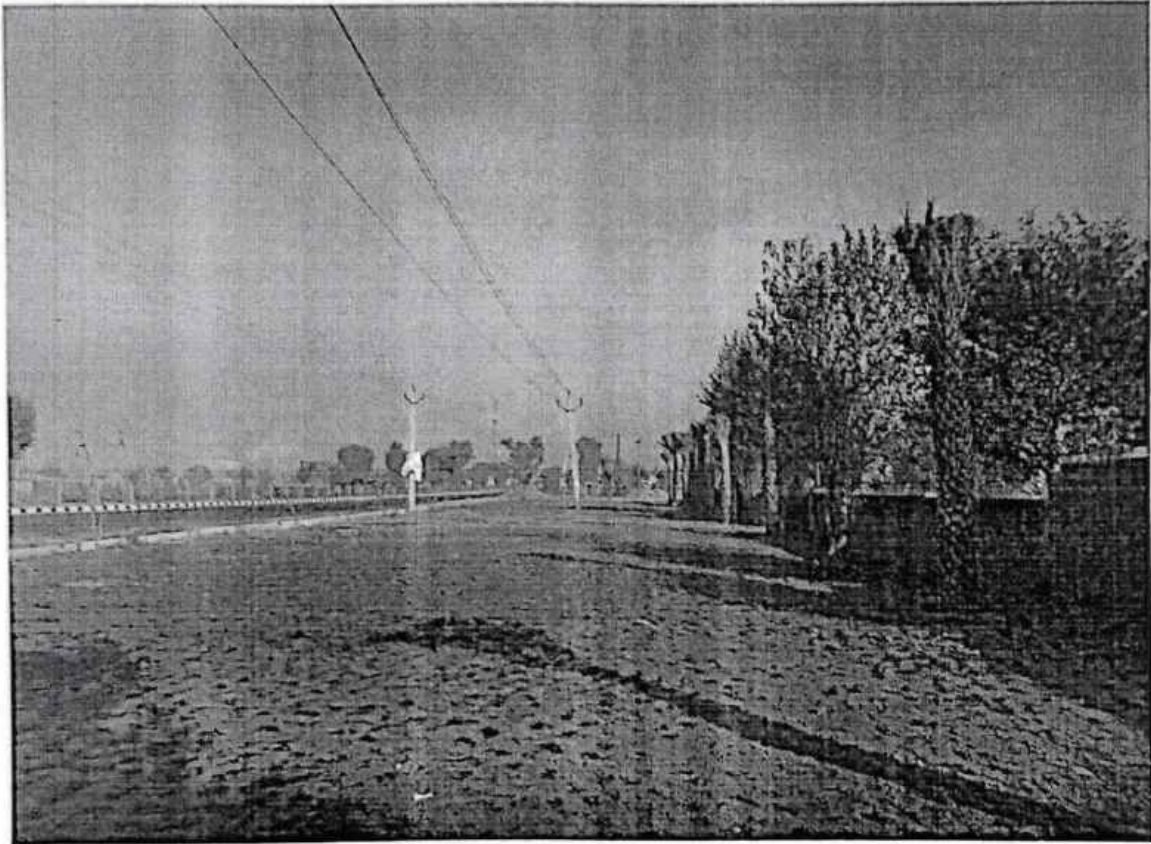
PARK



O. K. BHARDWAJ
Architectural Chartered Engineer
Huda Regd.No. ENGG/FBD/14
HOBPAS Regd.No. 94/18-19
Membership No. 30487/2021

10

PARK



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'O. K. Bhardwaj'.

O. K. BHARDWAJ
Architectural Chartered Engineer
Huda Regd.No. ENGG/FBD/14
HOBPAS Regd.No. 94/18-19
Membership No. 30487/2021



A stylized, handwritten signature in black ink, likely belonging to O. K. Bhardwaj.

O. K. BHARDWAJ
Architectural Chartered Engineer
Huda Regd.No. ENGG/FBD/14
HOBPAS Regd.No. 94/18-19
Membership No. 30487/2021

12

कार्यालय जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

क्रमांक:प.12-5(02)राजस्व/2025/2134

दिनांक:- 17/10/2025

आदेश

मैसर्स ए०वी०एस० कॉन्ट्रेक्टर द्वारा आपसी सहमति के आधार पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर मैसर्स ए०वी०एस० कॉन्ट्रेक्टर प्रा० लि० 90/33, द्वितीय मंजिल, ओखला फेज-1, नई दिल्ली के पक्ष में जिला कलक्टर के (1) आदेश सख्या 885 दिनांक 16.2.2015 से गांव चावण्डी खुर्द तहसील तिजारा की आराजी खसरा नम्बर 197 रकबा 0.37 है०, 198 रकबा 0.71 है०, 201 रकबा 0.5740 है०, 203 रकबा 0.37 है० एवं (2) आदेश सख्या 9016 दिनांक 14.11.2018 से गांव चावण्डी खुर्द की आराजी ख० न० 204 रकबा 0.14 है०, ख० न० 205 रकबा 0.10 है० किता 2 रकबा 0.24 है० तथा गांव जगमलहेडी के आराजी खसरा नम्बर 250 रकबा 0.73 है०, ख० न० 251 रकबा 0.33 है० किता 2 रकबा 1.06 है० एवं (3) आदेश सख्या 8780 दिनांक 24.10.2018 से गांव चावण्डी खुर्द के आराजी ख० न० 533/212 रकबा 0.54 है०, ख० न० 543/240 रकबा 0.58 है०, ख० न० 541/241 रकबा 0.12 है०, ख० न० 242 रकबा 0.19 है०, ख० न० 243 रकबा 0.15 है० किता 5 रकबा 1.58 है० व गांव जगमलहेडी की आराजी खसरा नम्बर 297/258 रकबा 0.12 है० एवं (4) आदेश सख्या 1211 दिनांक 23.06.2020 से चावण्डी खुर्द की आराजी ख० न० 245 रकबा 0.14 है०, आ०ख० न० 246 रकबा 0.14 है०, आ०ख० न० 535/247 रकबा 0.46 है०, किता 3 रकबा 0.74 है० तथा (5) आदेश सख्या 2563 दिनांक 07.9.2020 से गांव चावण्डी खुर्द की आराजी ख० न० 236/1 रकबा 0.370 है०, ख० न० 236/2 रकबा 0.944 है०, ख० न० 542/241/1 रकबा 0.860 है०, ख० न० 542/241/2 रकबा 0.317 है० किता 4 रकबा 0.2491 है० व गांव जगमलहेडी की आ०ख० न० 286/249 रकबा 0.1875 है०, ख० न० 285/249/1 रकबा 0.1875 है०, ख० न० 288/254 रकबा 0.900 है०, ख० न० 287/254/1 रकबा 0.1000 है० किता 4 रकबा 0.5650 है० तथा (6) आदेश सख्या 813 दिनांक 16.4.2019 से गांव भाभडाका की आराजी ख० न० 1373/1199 रकबा 0.25 है० भूमि, मैसर्स महेश इन्फ्राटेक प्रा० लि० 105 विवेक विहार दिल्ली के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी तिजारा ने (1) आदेश सख्या 1541-45 दिनांक 10.5.2019 से गांव चावण्डी खुर्द की आ०ख० न० 534/212 रकबा 5400 वर्गमीटर एवं (2) आदेश सख्या 71-73 दिनांक 29.6.2020 से गांव चावण्डी खुर्द की आ०ख० न० 536/247 रकबा 4600 वर्गमीटर भूमि, श्रीसुरेश शर्मा पुत्र श्री दयाराम शर्मा एवं श्रीमति सुचित्रा पत्नि श्री सुरेश शर्मा निवासियान म० न० 899/21 सी, फरीदा बाद के पक्ष में आदेश सख्या 824 दिनांक 16.4.2019 से गांव जगमलहेडी आराजी खसरा नम्बर 256 रकबा 0.11 है०, 257 रकबा 0.43, 298/258 रकबा 0.6333 है० किता 3 रकबा 1.1733 है० भूमि मैसर्स अरोमा आशियाना प्रा० लि० यूजीएफ 11, ओजोन सेंटर सेक्टर 12 फरीदाबाद के पक्ष में आदेश सख्या 1899 दिनांक 17.7.2019 से गांव चावण्डी खुर्द की आ०ख० न० 546/199 रकबा 0.2356 है०, ख० न० 548/200 रकबा 0.4378 है० किता 2 रकबा 0.6734 है० (कुल रकबा 96747.40 वर्गमीटर) भूमि का आवासीय प्रोजेक्ट प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि का पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी, टपूकड़ा एवं उप नगर नियोजक, अलवर द्वारा विकास कार्य पूर्ण करने एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु अनापत्ति प्रेषित की गई एवं राज्य सरकार द्वारा सम्पत्ति नियम 2007 में गठित जिला स्तरीय समिति की षष्ठम बैठक दिनांक 19.09.2025 में उप नगर नियोजक, अलवर की सहमति के आधार पर उक्तानुसार सर्वसम्मति से पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः प्रार्थी के आवेदन, जांच अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट एवं उप नगर नियोजक, अलवर की सहमति के आधार पर जिला स्तरीय कमेटी के सदस्यों की सर्वसम्मति के अनुसार उक्त आवासीय प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


सदस्य सचिव एवं

पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर,
खैरथल-तिजारा

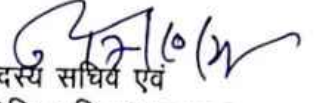
क्रमांक:राजस्व/2025/2135-2143

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्भागीय आयुक्त महोदय, जयपुर संभाग जयपुर।
2. मुख्यनगर नियोजक(एन०सी०आर०), नगर नियोजन भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
3. अधिशाही अभियंता, अभियांत्रिकी, जिला परिषद खैरथल-तिजारा।

दिनांक:- 17/10/2025

4. प्रभारी अधिकारी जिला राजस्व लेखा शाखा कलक्ट्रेट खैरथल-तिजारा।
5. उपखण्ड अधिकारी टपूकड़ा/तिजारा।
6. उप नगर नियोजक, अलवर क्षेत्र अलवर।
7. तहसीलदार, टपूकड़ा/तिजारा जिला खैरथल-तिजारा।
8. प्राधिकृत अधिकारी मैसर्स.....।
9. रक्षित पत्रावली।


सदस्य सचिव एवं
पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर,
खैरथल-तिजारा



सेवा में,

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय,
अलवर राज.

विषय :- कम्प्लीशन आवासीय प्रमाण पत्र जारी करने के क्रम में :-

महोदय,

प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1 - यह है कि ग्राम चावण्डीखुर्द , भामडाका , जगमलहेडी तहसील तिजारा जिला अलवर राज. के खसरा नम्बर

खसरा नम्बर	ग्राम चावण्डीखुर्द तिजारा	ग्राम जगमलहेडी तिजारा
197	0.37 हैक्टर	-----
198	0.71 हैक्टर	
201	0.5740 हैक्टर	
202	0.01 हैक्टर	
203	0.37 हैक्टर	
किता 4 कुल रकबा 2.0240 हैक्टर		-----

खसरा नम्बर	ग्राम चावण्डीखुर्द तिजारा	ग्राम जगमलहेडी तिजारा
546 / 199	0.2356 हैक्टर	-----
548 / 200	0.4378 हैक्टर	-----
किता 2 कुल रकबा 0.6734 हैक्टर		

खसरा नम्बर	ग्राम चावण्डीखुर्द तिजारा	ग्राम जगमलहेडी तिजारा
204	0.14 हैक्टर	-----
205	0.10 हैक्टर	-----
किता 2 कुल रकबा 0.24 हैक्टर		
250	-----	0.73 हैक्टर
251	-----	0.33 हैक्टर
किता 2 कुल रकबा 1.06 हैक्टर		
किता 4 कुल रकबा 1.30 हैक्टर		

For AVS Construction Pvt. Ltd.

गजेश्वर
Director

6781
30/7/2024

30/7/2024

खसरा नम्बर	ग्राम चावण्डीखुर्द तिजारा	ग्राम जगमलहेडी तिजारा
533 / 212	0.54 हैक्टयर	
543 / 240	0.58 हैक्टयर	
541 / 241	0.12 हैक्टयर	
242	0.19 हैक्टयर	
243	0.15 हैक्टयर	
किता 5 कुल रकबा 1.58 हैक्टयर		
297 / 258	-----	0.12 हैक्टयर
किता 1 कुल रकबा 0.12 हैक्टयर		
दोनो गांवो की कुल आराजी किता 6 कुल रकबा 1.70 हैक्टयर		

खसरा नम्बर	ग्राम चावण्डीखुर्द तिजारा	ग्राम जगमलहेडी तिजारा
245	0.14 हैक्टयर	-----
246	0.14 हैक्टयर	-----
535 / 247	0.46 हैक्टयर	-----
किता 3 कुल रकबा 0.74 हैक्टयर		

खसरा नम्बर	ग्राम चावण्डीखुर्द तिजारा	ग्राम जगमलहेडी तिजारा
236 / 1	0.0370 हैक्टयर	-----
236 / 2	0.0944 हैक्टयर	-----
542 / 241 / 1	0.0860 हैक्टयर	-----
542 / 241 / 2	0.0317 हैक्टयर	-----
किता 4 कुल रकबा 0.2491 हैक्टयर		-----
286 / 249	-----	0.1875 हैक्टयर
285 / 249 / 1	-----	0.1875 हैक्टयर
288 / 254	-----	0.09 हैक्टयर
287 / 254 / 1	-----	0.10 हैक्टयर
किता 4 कुल रकबा 0.5650 हैक्टयर		
दोनो गांवो की कुल आराजी किता 8 कुल रकबा 0.8141 हैक्टयर		

खसरा नम्बर	ग्राम चावण्डीखुर्द तिजारा	ग्राम जगमलहेडी तिजारा
534 / 212	0.54 हैक्टयर	-----
किता 1 कुल रकबा 0.54 हैक्टयर		

खसरा नम्बर	ग्राम चावण्डीखुर्द तिजारा	ग्राम जगमलहेडी तिजारा
536 / 247	0.46 हैक्टयर	-----
किता 1 कुल रकबा 0.46 हैक्टयर		

खसरानम्बर	ग्राम चावण्डीखुर्द तिजारा	ग्राम जगमलहेडी तिजारा
256	-----	0.11 हैक्टयर
257	-----	0.43 हैक्टयर
298 / 258	-----	0.6333 हैक्टयर
किता 3 कुल रकबा 1.1733 हैक्टयर		

खसरा नम्बर	ग्राम चावण्डीखुर्द तिजारा	ग्राम भामडाका तिजारा
1373 / 1199	-----	0.25 हैक्टयर
किता 1 कुल रकबा 0.25 हैक्टयर		
समस्त खसरा नम्बरो का कुल रकबा 9.6748 हैक्टयर (96748.00 वर्गमीटर) है।		

उक्त रकबा मे से खसरा नम्बर 197, 198, 201, 203 क्षेत्रफल :-
20240 वर्गमीटर कार्यालय जिला कलेक्टर ,अलवर राजस्थान द्वारा
क्रमांक :- प.12-3 राज. / भूरू. (26) 13 / 885 - 95
दिनांक 16.02.2015 को आवासीय कॉलोनी प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन
की गई है।

उक्त रकबा मे से खसरा नम्बर 546 / 199, 548 / 200 क्षेत्रफल :-
6734 वर्गमीटर कार्यालय जिला कलेक्टर , अलवर राजस्थान द्वारा
क्रमांक :- प.12-3 (228) राजस्व / भूरू. / 2017 / 1899 -
1909 दिनांक 17.07.2019 को आवासीय कॉलोनी प्रयोजन हेतु
संपरिवर्तन की गई है।

उक्त रकबा मे से खसरा नम्बर 204, 205 , 250 , 251 क्षेत्रफल :-
13000 वर्गमीटर कार्यालय जिला कलेक्टर , अलवर राजस्थान द्वारा
क्रमांक :- प.12-3 (105) राजस्व / भूरू. / 2016 / 9016
- 26 दिनांक 14.11.2018 को आवासीय कॉलोनी प्रयोजन हेतु
संपरिवर्तन की गई है।

For AVS Contractors Pvt. Ltd.

गजेश हि
Director

उक्त रकबा मे से खसरा नम्बर 533/212, 543/240, 541/241, 242, 243, 297/258 क्षेत्रफल :- 17000 वर्गमीटर कार्यालय जिला कलेक्टर , अलवर राजस्थान द्वारा क्रमांक :- प.12-3 (243) राजस्व / भूरू. /2017 / 8780-90 दिनांक 24.10.2018 को आवासीय कॉलोनी प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन की गई है।

उक्त रकबा मे से खसरा नम्बर 245, 246, 535/247 क्षेत्रफल :- 7400 वर्गमीटर कार्यालय जिला कलेक्टर , अलवर राजस्थान द्वारा क्रमांक :- प.12-3 (292) राजस्व / भूरू. पार्ट 7/2019 / 1211 - 1221 दिनांक 23.06.2020 को आवासीय कॉलोनी प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन की गई है।

उक्त रकबा मे से खसरा नम्बर 236/1 , 236/2 , 542/241/1, 542/241/2 ,286/249, 285/249/1 ,288/254, 287/254/1 क्षेत्रफल :- 8141 वर्गमीटर कार्यालय जिला कलेक्टर , अलवर राजस्थान द्वारा क्रमांक :- प.12-3 (329) राजस्व / भूरू. पार्ट 8/2020 / 2563 - 74 दिनांक 07.09.2020 को आवासीय कॉलोनी प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन की गई है।

उक्त रकबा मे से खसरा नम्बर 534/212 क्षेत्रफल :- 5400 वर्गमीटर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी महोदय तिजारा द्वारा रूपान्तरण क्रमांक संख्या 1541 - 45 दिनांक 10.05.2019 को आवासीय कॉलोनी प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन की गई है।

उक्त रकबा मे से खसरा नम्बर 536/247 क्षेत्रफल :- 4600 वर्गमीटर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी महोदय तिजारा द्वारा रूपान्तरण क्रमांक संख्या 71 - 73 दिनांक 29.06.2020 को आवासीय कॉलोनी प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन की गई है।

उक्त रकबा मे से खसरा नम्बर 256, 257, 298/258 क्षेत्रफल :- 11733 वर्गमीटर कार्यालय जिला कलेक्टर , अलवर राजस्थान द्वारा क्रमांक :- प.12-3 (284) राजस्व / भूरू. /2018 / 824 -835 दिनांक 16.04.2019 को आवासीय कॉलोनी प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन की गई है।

उक्त रकबा मे से खसरा नम्बर 1373/1199 क्षेत्रफल :- 2500 वर्गमीटर कार्यालय जिला कलेक्टर , अलवर राजस्थान द्वारा क्रमांक :- प.12-3 (283) राजस्व / भूरू. /2018 / 813-823 दिनांक 16.04.2019 को आवासीय कॉलोनी प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन की गई है।

For AVS Contractors Pvt. Ltd.

जलेश्वर सिंह

Director

2 - यह है कि श्रीमान जिला कलेक्टर अलवर राजस्थान के द्वारा आपसी सहमति अण्डरटैकिंग के अनुसार TOWNSHIP POLICY - 2010 & TECHNICALLY APPROVED OFFICE LETTER NO. 3964 - 72 दिनांक 22.10.2020 के द्वारा लेआउट प्लान का अनुमोदन किया जा चुका है। तथा इस उपरोक्त भूमि पर ओजोन सिटी - 2 में फेस - 3 आवासीय योजना विकसित की है।

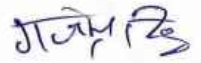
3 - यह है कि उक्त लेआउट प्लान के अनुसार मौके पर सीवर , पानी , बिजली , सडक व अन्य सभी सुविधाएं आवश्यकता अनुसार पूर्ण कर दी गई है।

अतः :- श्रीमानजी से निवेदन है कि कम्प्लीशन आवासीय प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक

 **AVS Contractors Pvt. Ltd.**

प्रार्थी



 Director

M/S A V S CONTRACTORS PVT ,LTD
Through Authorized Director Gajendra Singh

Checklist for Status of Internal Development Works

Project Name : AVS CONTRACTORES PVT LTD. Gram Chavandi Khurd, Jagmalheri, Bhamdaka Teh. Tijara

Area: 9.6648 Hec. (Upto 10 Hectare)

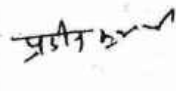
Sr. No.	As per Township Policy 2010	As per site
A	Construction of roads and Boundary wall as per IRC Norms	
	Compound wall, Gated Entry/Exits,	Completed
	Internal Roads	Completed
B	Power Supply	
	Street Lighting : (Above 18 m Road Divide) Distance b/w poles not more than 30 metres	Completed
C	Water Supply Under Ground Water Tank/OHR as per PHED norms	Completed
D	Sewerage and Drainage	
	Sewerage line should be located close to boundary wall of the plots(within above 10 ft)	Completed
E	Horticulture and Plantation	
	Roads should have plantation on both sides minimum 30 trees per acre (5 feet trees height)	Completed
	Trees along all the roads	Completed
F	Solid Waste Management (Applicable on Above 10 H Site)	
	Developer must submit a detailed plan for the disposal of solid Waste management	Not Applicable
G	Rain water Harvesting and Water Recycling	
	Water from all water outlets and Drainage should be collected for recycling for gardening, washing etc.	As per Township Policy-2010 the infrastructure for rain water harvesting is completed and construction work for Sewage Treatment Plant is also completed.
H	Other details (If any)	A 33 KV electric line is passing through the scheme area near the main entrance. The shifting of 33 KV electric line is in process but at present it exits within scheme area. An 11 KV electric line is also passing through the part of scheme area to supply electricity for the present requirements of scheme, which needs to be aligned or shifted properly as per departmental norms.


 Assistant Town Planner
 Alwar Region, Alwar

08/12/27

**कार्यालय जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय लेआउट/भवन योजना अनुमोदन
कमेटी खैरथल-तिजारा (राजस्थान)**

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर की अधिसूचना संख्या प.6(26) राजस्व-6/2014/50 दिनांक 29.6.2021 से राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2007 के नियम 9(2) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाली आवासीय कालोनी/परियोजना, औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक सम्पदा से संबंधित ले-आउट प्लान/भवन योजना अनुमोदन करने, पूर्णता प्रमाण एवं अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने हेतु इस कार्यालय के आदेश संख्या 118 दिनांक 26.9.2023 द्वारा गठित जिला स्तरीय कमेटी की प्रथम बैठक दिनांक 15.12.2023 को प्रातः 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारियों ने भाग लिया :-

क्र.स.	पदनाम अधिकारीगण	विवरण	हस्ताक्षर	मोबाईल नम्बर
1.	श्री ओमप्रकाश सहारण अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा	सदस्य सचिव		9413514599
2.	श्री महेन्द्र सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी टपूकडा	सदस्य	—	—
3.	श्री अनूप सिंह उपखण्ड अधिकारी तिजारा	सदस्य		9001098533
3.	श्री प्रदीप कुमार अतिरिक्त सहायक अभियन्ता (अभियांत्रिकी) जिला परिषद खैरथल-तिजारा	सदस्य सहायक अभियन्ता पू.स. खैरथल-तिजारा		8764054869
4	श्री सुनील कुमार अतिरिक्त सहायक अभियन्ता (अभियांत्रिकी) जिला परिषद खैरथल-तिजारा कार्यालय उप नगर नियोजक, अलवर	सदस्य		8005747481

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेन्डा प्रकरणों पर विस्तृत विचार विमर्श कर निर्णय करने हेतु प्रस्तुत है

एजेन्डा बिन्दु संख्या एक

समिति बैठक	द्वितीय
दिनांक	15.12.2023



एजेण्डा	प्रथम
1	विषय
	मैसर्स लाईफस्टाईल सुपरटेक प्रा0 लि0 गुडगांव ने दिनांक 31.07.2017 को जिला कलक्टर कार्यालय अलवर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर गांव पावटी तहसील तिजारा अलवर की आराजी खसरा नम्बर 1082 रकबा 0.51 है0, खसरा नम्बर 1065 रकबा 0.4608 है0, खसरा नम्बर 1081 रकबा 0.42 है0, खसरा नम्बर 1083 रकबा 0.38 है0, खसरा नम्बर 1086 रकबा 0.4832 है0, खसरा नम्बर 1087 रकबा 0.3192 है0, खसरा नम्बर 1088 रकबा 0.2624 है0, खसरा नम्बर 1080 रकबा 0.19 है0, 1066 रकबा 0.86 है0 आराजी खसरा नम्बर 1071 रकबा 0.38 है0, 1077 रकबा 5.36 है0, 1077/1203 रकबा 0.61 है0 कुल किता 12 रकबा 102328 वर्गमीटर आवासीय प्रोजेक्ट प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निवेदन किया गया। उक्त प्रकरण में इस कार्यालय क आदेश सख्या 4365 दिनांक 27.6.2016 से प्रस्तावित भूमि का ले आउट प्लान अनुमोदित किया गया है एवं ले आउट के अनुसार कार्य पूर्ण होना अंकित कर प्रोजेक्ट का कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने हेतु आवेदन किया है। राजस्व विभाग की अधिसूचना सख्या प.9(18)राज-1/2022(10) दिनांक 5.8.2023 से खैरथल-तिजारा गठित होने पर प्रकरण अन्तरण होकर इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।
2	आवेदक का नाम
	मैसर्स लाईफस्टाईल सुपरटेक प्रा0 लि0 गुडगांव, 856 सेक्टर 14 गुरुगांव 12202
3	भूखण्ड का क्षेत्रफल
	102328 वर्गमीटर
4	भूखण्ड का उपयोग
	आवासीय योजना/प्रोजेक्ट
5	उपखण्ड अधिकारी तिजारा की रिपोर्ट
	उपखण्ड अधिकारी तिजारा एवं उप नगर नियोजक की संयुक्त रिपोर्ट दिनांक 21.02.2023 के अनुसार विकास कार्य पूर्ण कर लिये गये है।
6	उप नगर नियोजक अलवर क्षेत्र अलवर की रिपोर्ट
	उपखण्ड अधिकारी तिजारा एवं उप नगर नियोजक की संयुक्त रिपोर्ट दिनांक 21.02.2023 के अनुसार विकास कार्य पूर्ण कर लिये गये है।
7	विचारणीय बिन्दु
	उपखण्ड अधिकारी तिजारा, उप नगर नियोजक अलवर एवं बैठक में उपस्थित सदस्यों से विचार विमर्श कर आवेदित कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया जाना उचित है या नहीं ?
8	निर्णय
	जांच अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण कर लिये गये है। उक्तानुसार सर्वसम्मति से पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दू सख्या दो

समिति बैठक	द्वितीय
दिनांक	15.12.2023
एजेण्डा	द्वितीय

5

1	विषय	प्रार्थना पत्र मै0 एवीएस कान्ट्रेक्टर्स प्रा0लि0, बाबत मै0 एवीएस कान्ट्रेक्टर्स प्रा.लि., मैसर्स महेश इन्फ्राटेक प्रा0लि0 डी 105 विवेक विहार नई दिल्ली, श्रीमति सुचित्रा पत्नि श्री सुरेश शर्मा निवासी 899 सेक्टर 21, हाउसिंग गोर्ड कालोनी, फरीदाबाद, श्री सुरेशचन्द शर्मा पुत्र श्री दयाराम शर्मा निवासी 899 सेक्टर 21 हाउसिंग बोर्ड कालोनी एवं मैसर्स अरोमा आशियाना प्राईवेट लि0, वीजी 11, ओजोन सेक्टर सेक्टर 12 फरीदाबाद के मध्य हुई आपसी सहमति पत्र दिनांक 10.09.2020 के अनुसार जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा आवासीय प्रोजेक्ट प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित आराजी वाके गांव चावण्डीखुर्द, जगमलहेडी एवं भाभडाका तहसील तिजारा में भूमि का इकजाई अनुमोदित ले आउट प्लान के अनुसार किये गये निर्माण का कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने।
2	आवेदक का नाम	मैसर्स ए.वी.एस.कान्ट्रेक्टर्स प्रा0 लि0, यूजी-9, ओजोन सेक्टर, सेक्टर 12, फरीदाबाद
3	भूखण्ड का क्षेत्रफल	96748 वर्गमीटर
4	भूखण्ड का उपयोग	आवासीय योजना/प्रोजेक्ट
5	उपखण्ड अधिकारी तिजारा की रिपोर्ट	उपखण्ड अधिकारी टपूकडा उपस्थित नहीं
6	उप नगर नियोजक अलवर क्षेत्र अलवर की रिपोर्ट	उप नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार एचटी लाईन हटाया जाना शेष है।
7	विचारणीय बिन्दु	1. मैसर्स ए.वी.एस. कान्ट्रेक्टर्स प्रा0 लि0 90/33, द्वितीय मंजिल, ओखला फेज-1, नई दिल्ली के पक्ष में जिला कलक्टर के (1) आदेश सख्या 885 दिनांक 16.2.2015 से ग्राम चावण्डी खुर्द तहसील तिजारा की आराजी खसरा नम्बर 197 रकबा 0.37है0, 198 रकबा 0.71है0, 201 रकबा 0.5740है0, 203 रकबा 0.37है0 एवं (2) आदेश सख्या 9016 दिनांक 14.11.2018 से गांव चावण्डीखुर्द की आराजी ख0 न0 204 रकबा 0.14 है0, ख0 न0 205 रकबा 0.10है0 किता 2 रकबा0.24है0 तथा गांव आराजी खसरा नम्बर 250 रकबा 0.73है0, ख0 न0 251 रकबा 0.33है0 किता 2 रकबा1.06है0 एवं (3) आदेश सख्या 8780 दिनांक 24. 10.2018 से गांव आराजी ख0न0 533/212 रकबा 0.54है0, ख0न0 543/240 रकबा 0.58है0, ख0न0 541/241 रकबा 0. 12है0, ख0न0 242 रकबा 0.19है0, ख0न0 243 रकबा 0.15 है0 किता 5 रकबा 1.58है0 व गांव जगमलहेडी की आराजी खसरा नम्बर 297/258 रकबा 0.12है0 एवं (4) आदेश सख्या 1211 दिनांक 23.06.2020 से चावण्डीखुर्द की आराजी ख0न0 245 रकबा 0.14है0, आ0ख0न0 246 रकबा 0.14है0, आ0ख0न0 535/247 रकबा 0.46है0, किता 3 रकबा 0.74है0 तथा (5) आदेश सख्या 2563 दिनांक 07.9.2020 से गांव चावण्डीखुर्द की आराजी ख0 न0 236/1 रकबा 0.370 है0, ख0 न0 236/2 रकबा 0.944है0, ख0न0 542/241/1 रकबा 0.860 है0, ख0न0 542/241/2 रकबा 0.317है0 किता 4 रकबा 0.2491है0 व

4

3

		गांव जगमलहेडी की आ0ख0न0 286/249 रकबा 0.1875 है0, ख0न0 285/249/1 रकबा 0.1875 है0, ख0न0 288/254 रकबा 0.900 है0, ख0 न0 287/254/1 रकबा 0.1000 है0 किता 4 रकबा 0.5650 है0 तथा (6) आदेश सख्या 813 दिनांक 16.4.2019 से गांव भाभडाका की आराजी ख0न0 1373/1199 रकबा 0.25 है0 जिला कलक्टर द्वारा संपरिवर्तित की जा चुकी है। 2. मैसर्स महेश इन्फ्राटेक प्रा0लि0 105 विवेक विहार दिल्ली के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी तिजारा ने (1) आदेश सख्या 1541-45 दिनांक 10.5.2019 से गांव चावण्डीखुर्द की आ0ख0 न0 534/212 रकबा 5400 वर्गमीटर एवं (2) आदेश सख्या 71-73 दिनांक 29.6.2020 से गांव चावण्डीखुर्द की आ0ख0 न0 536/247 रकबा 4600 वर्गमीटर उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा संपरिवर्तित की जा चुकी है। 3. श्री सुरेश शर्मा पुत्र श्री दयाराम शर्मा एवं श्रीमति सुचित्रा पत्नि श्री सुरेश शर्मा निवासियान म0न0 899/21सी, फरीदा बाद के पक्ष में आदेश सख्या 824 दिनांक 16.4.2019 से गांव जगमलहेडी आराजी खसरा नम्बर 256 रकबा 0.11 है0, 257 रकबा 0.43, 298/258 रकबा 0.6333 है0 किता 3 रकबा 1.1733 है0 जिला कलक्टर द्वारा संपरिवर्तित की जा चुकी है। 4. मैसर्स अरोमा आशियाना प्रा0लि0 यूजीएफ 11, ओजोन सेंटर सेक्टर 12 फरीदाबाद के पक्ष में आदेश सख्या 1899 दिनांक 17.7.2019 से गांव चावण्डीखुर्द की आ0ख0न0 546/199 रकबा 0.2356 है0, ख0न0 0548/200 रकबा 0.4378 है0 किता 2 रकबा 0.6734 है0 जिला कलक्टर अलवर द्वारा भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 के तहत आवासीय प्रोजेक्ट हेतु संपरिवर्तन किया जा चुका है। (कुल रकबा 96748 वर्गमीटर) का लेआउट दिनांक 21.10.2020 को आयोजित जिला स्तरीय बैठक में किया जा चुका है। उक्तानसार उपखण्ड अधिकारी, उप नगर नियोजक एवं अन्य सदस्यगणों से प्रकरण में कम्प्लीशन सर्टिफिकेट करने पर विचार विमर्श किया गया।
8	निर्णय	उपखण्ड अधिकारी, उप नगर नियोजक से प्राप्त रिपोर्ट एवं सदस्यों से विचार विमर्श कर एचटी लाईन शिफ्टिंग एवं चालू कार्य पूर्ण होने बाबत मौका रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी एवं उप नगर नियोजक से प्राप्त होने पर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाना उचित होगा।

एजेन्डा बिन्दू सख्या तीन

समिति बैठक	द्वितीय
दिनांक	15.12.2023
एजेन्डा	तृतीय
1	विषय
	प्रार्थना पत्र श्री हेमन्त कुमार सेवलिया पुत्र श्री पूरण मल सेवलिया निवासी प्लाट नं0 109 बी शान्ति नगर, गुर्जर की थडी, जयपुर के पक्ष में गांव शाहबाद तहसील तिजारा की आराजी खसरा नम्बर 1020/1966 रकबा 0.06 है0, 1021/1967

4

4

		रकबा 0.11 है0, 1022 रकबा 0.33 है0, 1023 रकबा 0.19 है0, 1024 रकबा 0.19 है0, 1028 रकबा 0.48 है0, 1994/1029 रकबा 0.32 है0, 1996/1027 रकबा 0.23 है0, 1044/1985 रकबा 0.02 है0 कुल किता 9 रकबा 1.93 है0 अर्थात 19300 वर्गमीटर आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि का कम्प्लीशन प्रमाण पत्र जारी करने हेतु ।
2	आवेदक का नाम	श्री हेमन्त कुमार सेवलिया पुत्र श्री पूरण मल सेवलिया निवासी प्लॉट नं0 109 बी शान्ति नगर, गुर्जर की थडी, जयपुर
3	भूमिका क्षेत्रफल	19600 वर्गमीटर
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	आवासीय प्रोजेक्ट
5	उपखण्ड अधिकारी रिपोर्ट	उपखण्ड अधिकारी तिजारा 15.12.2023 के अनुसार प्लॉटिंग की हुई है, सड़क बनी है, सिवर लाईन तथ्य जल व्यवस्था हेतु कुछ जगह पाई लगे है। विकास कार्य पूर्ण कर लिये गये है।
6	उप नगर नियोजक की रिपोर्ट	उप नगर नियोजक की के अनुसार विकास कार्य पूर्ण नहीं है। पूर्ण किये जाने के पश्चात पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाना उचित होगा।
7	विचारणीय बिन्दु	उपखण्ड अधिकारी तिजारा, उप नगर नियोजक अलवर एवं बैठक में उपस्थित सदस्यों से विचार विमर्श कर आवेदित कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया जाना उचित है या नहीं ?
8	निर्णय	सर्व सम्मति एवं जांच अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार निर्णय लिया गया कि सड़कों के किनारे शोल्डर/फुटपाथ एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज की सुविधा तथा विद्युतीकरण व्यवस्था तथा इन्फार्मल कॉमर्शियल क्षेत्र विकसित करने की पालना के बाद आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जावे।

एजेण्डा बिन्दू संख्या चार

समिति बैठक		द्वितीय
दिनांक		15.12.2023
एजेण्डा		चतुर्थ
1	विषय	मैसर्स एम्बीशन बिल्डर्स प्रा0 लि0, मैसर्स स्टार सिटी बिल्ड होम प्रा0 लि0, मैसर्स अपकाउन्ट्री लैण्ड एण्ड प्रोजेक्ट्स प्रा.लि., मैसर्स स्विफ्ट्रान इन्टरनेशनल प्रा.लि., मैसर्स जी.आर.जे. डिस्ट्रीब्यूटर्स एण्ड डवलपमेंट प्रा.लि. एवं मैसर्स जीनियस प्रॉपबिल्ड प्रा.लि., की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री जगतसिंह पुत्र श्री मामचन्द ने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि का पूर्व में अलवर से किये गये लेआउट प्लान अनुमोदन से लगति हुई शेष भूमि का लेआउट अनुमोदन के लिए आवेदन किया है।
2	अन्य विवरण	मैसर्स एम्बीशन बिल्डर्स प्रा0 लि0 एवं मैसर्स स्टार सिटी बिल्ड होम प्रा0 लि0, प्लॉट संख्या 166, भू तल, उधोग विहार, फेज प्रथम, गुरुग्राम के पक्ष में जिला कलक्टर अलवर द्वारा मैसर्स एम्बीशन के पक्ष में जारी आनलाईन प्रमाण 112908 दिनांक 17.4.22 से गांव चावण्डीखुर्द की

8

5

		आ0ख0न0 522/36 रकबा 0.05है0, 529/37 रकबा 0.1748है0, 531/46रकबा 0.8490है0, 60 रकबा 0.18है0, 61 रकबा 0.18है0, 62 रकबा 0.19है0, 55 रकबा 0.47है0, 56 रकबा 0.14है0, 57 रकबा 0.14है0 किता 9 रकबा 2.3738है0 एवं आनलाईन प्रमाण पत्र संख्या 112911 दिनांक 17.4.2022 से मैसर्स स्टारसिटी के पक्ष में गांव माटावास की आ0ख0न0 234रकबा 0.30है0, 235 रकबा 0.14है0, 236 रकबा 0.14है0, 237 रकबा 0.58है0, 238 रकबा 0.65 है0, 239 रकबा 0.61है0 किता 6 रकबा 2.42है0 कुल किता 15 रकबा 47938 वर्गमीटर भूमि का औद्योगिक क्षेत्र प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन एवं आदेश संख्या 4249 दिनांक 04.7.2020 ले आउट प्लान अनुमोदन किया जा चुका है।
3	ले आउट के अनुसार भूमि का क्षेत्रफल	153867.70वर्गमीटर
4	संपरिवर्तन आदेशों में कुल भूमि	158738.00व0मी0
5	भूमि का प्रस्तावित उपयोग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्रयोजनार्थ
6	भूमि का स्वामित्व एवं क्षेत्रफल	1. मैसर्स स्टार सिटी बिल्ड होम प्रा0 लि0, गांव माटावास की आ. ख.न. 229 रकबा 2400 व0मी0, 230 रकबा 2500व0मी0, 231 रकबा 2400 व0मी0, 232 रकबा 2600व0मी0, 233 रकबा 11800व0मी0 किता 5 रकबा 21700व0मी0 जिला कलक्टर अलवर के आनलाईन आदेश संख्या 125594 दिनांक 7.12.2022 से संपरिवर्तित 2. मैसर्स अपकाउन्ट्री लैण्ड एण्ड प्रोजेक्टस प्रा.लि. गांव माटावास की आ.ख.न. 243 रकबा 2800 व0मी0, 244 रकबा 2300 व0मी0 किता 2 रकबा 5100व0मी0 उपजिला कलक्टर तिजारा के आनलाईन आदेश संख्या 125610 दिनांक 02.01.2023 से संपरिवर्तित 3. मैसर्स स्विफ्टरान इन्टरनेशनल प्रा.लि. गांव माटावास की आ.ख. न. 100 रकबा 2800 व0मी0, 101 रकबा 900 व0मी0, 102 रकबा 1200 व0मी0, 104 रकबा 2500 व0मी0, 133 रकबा 2500 व0मी0 किता 5 रकबा 9900 व0मी0 उपजिला कलक्टर तिजारा के आनलाईन आदेश संख्या 125609 दिनांक 02.01.2023 से संपरिवर्तित 4. मैसर्स जी.आर.जे. डिस्ट्रीब्यूटर्स एण्ड डवलपमेंट प्रा.लि.गांव माटावास की आ.ख.न. 93 रकबा 3500 व0मी0, 94 रकबा 7200व0मी0, 97 रकबा 2000 व0मी0, 98 रकबा 5200व0मी0, 134 रकबा 2600व0मी0, 265/135 रकबा 8700 व.मी., 138 रकबा 3200 किता 7 रकबा 32400 व0मी0 जिला कलक्टर अलवर के आनलाईन आदेश संख्या 125596 दिनांक 7.12.2022 से संपरिवर्तित एवं 5. मैसर्स जीनियस प्रॉपबिल्ड प्रा.लि. की गांव माटावास आ.ख.न. 268/95 रकबा 1800 व0मी0, 137 रकबा 2500 व0मी0, 222 रकबा 1300 व0मी0, 223 रकबा 2400व0मी0, 224 रकबा 200व0मी0, 266/225 रकबा 4467 व.मी. 270/226 रकबा 2933व.मी., 227 रकबा 6200व.मी., 228 रकबा 5200व.मी. 240 रकबा 14700 किता 10 रकबा 41700 व0मी0 जिला कलक्टर

4

6

		अलवर के आनलाईन आदेश संख्या 125604 दिनांक 7.12.2022 से संपरिवर्तित
7	उपखण्ड अधिकारी तिजारा की रिपोर्ट	शून्य
8	उप नगर नियोजक अलवर क्षेत्र अलवर की रिपोर्ट	प्रस्तावित भूमि का राजस्व अधिकारियों से सुपरइम्पोज साईट प्लान चाहा गया है।
9	विचारणीय बिन्दु	आवेदक द्वारा अपेक्षित दस्तावेजात/सूचना प्रस्तुत करने, उप नगर नियोजक द्वारा लेआउट की तकनीकी जांच एवं उपखण्ड अधिकारी/उपनगर नियोजक की मौका रिपोर्ट प्राप्त कर जिला स्तरीय कमेटी जिला अलवर द्वारा पूर्व में किये गये ले आउट अनुमोदन को शामिल करते हुए प्रार्थी द्वारा आवेदित लेआउट प्लान अनुमोदन पर विचार विमर्श
10	निर्णय	प्राप्त रिपोर्ट्स एवं सदस्यों के चर्चा के अनुसार सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में आवेदक द्वारा अपेक्षित दस्तावेजात प्रस्तुत करने, पूर्व में अनुमोदित ले आउट प्लान के संशोधन अथवा निरस्तीकरण का निर्धारण करते हुए तदनुसार प्रश्नगत लेआउट प्लान प्रस्तुत करने तथा योजना के क्षेत्र के खसरा सुपरइम्पोजिशन मानचित्र संबंधित तहसीलदार/पटवारी की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर परीक्षण, रिपोर्ट एवं आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जावे।

उक्तानुसार बैठक में विचार विमर्श कर एजेण्डा बिन्दू संख्या एक से चार पर सर्वसम्मति से प्रकरण वार वर्णित निर्णय लिया गया एवं बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

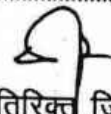
 15/12/23
(हनुमान मल डाका)

जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा
दिनांक 15/12/2023

क्रमांक:राजस्व/2023/651

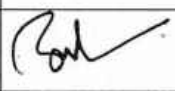
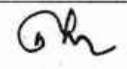
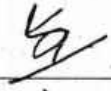
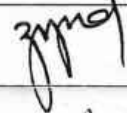
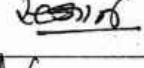
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उपखण्ड अधिकारी तिजारा/टपूकडा जिला खैरथल-तिजारा
2. अधिशाषी अभियन्ता, (अभियांत्रिकी) जिला परिषद जिला खैरथल-तिजारा
3. उप नगर नियोजक जिला खैरथल-तिजारा
4. प्राधिकृत अधिकारी श्री/मैसर्स
5. रक्षित पत्रावली


अतिरिक्त जिला कलक्टर,
खैरथल-तिजारा

**कार्यालय जिला कलेक्टर अलवर (राजस्थान)
बैठक में उपस्थिति अधिकारीगण**

राजस्थान सरकार, राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर की अधिसूचना संख्या प.6 (26) राजस्व-6/2014/33 दिनांक 6.10.2016 से राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2007 के नियम 9(2) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाली आवासीय कालोनी/परियोजना, औद्योगिक क्षेत्र/ औद्योगिक सम्पदा से संबंधित ले-आउट प्लान/भवन योजना अनुमोदन करने तथा अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने हेतु गठित जिला स्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 23.06.2022 को समय साय: 4.30 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में कलेक्टर अलवर के सभागार में आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारियों ने भाग लिया :-

क्र.स.	पदनाम अधिकारीगण	हस्ताक्षर
1.	श्री अखिलेश कुमार पिपल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम अलवर	
2.	श्री : : : : उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला अलवर जोम प्रकाश	
3.	श्री महेन्द्र यादव, उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर	
4.	श्री मुकुट सिंह , उपखण्ड अधिकारी नीमराणा जिला अलवर	
5.	श्री दिनेश बडसर, अधिशाषी अभियन्ता, (अभियांत्रिकी) जिला परिषद, अलवर	
6.	श्री अभिनव मिश्रा, उप नगर नियोजक, अलवर क्षेत्र अलवर, अनुभव	
7.	श्री सुभान खान, उप विधि परामर्शी कलेक्टर अलवर	
8.	श्री सुधीर दुजे, सहायक राजस्व लेखाधिकारी प्रथम कलेक्टर अलवर	

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेन्डा प्रकरणों विचार विमर्श कर निर्णय करने हेतु प्रस्तुत हुए:-

एजेन्डा बिन्दू संख्या एक

समिति बैठक	प्रथम
दिनांक	23.6.2022
एजेन्डा	प्रथम
1	विषय
	प्रार्थना पत्र मैसर्स लाईफस्टाई सुपरटेक प्रा0 लि0 गुडगांव ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर गांव पावटी तहसील तिजारा अलवर की आराजी खसरा नम्बर 1082 रकबा 0.51 है0, खसरा नम्बर 1065 रकबा 0.4608 है0, खसरा नम्बर 1081 रकबा 0.42 है0, खसरा नम्बर 1083 रकबा 0.33 है0, खसरा नम्बर 1086 रकबा 0.4832 है0, खसरा नम्बर 1087 रकबा 0.3192 है0, खसरा नम्बर 1088 रकबा 0.2624 है0, खसरा नम्बर 1080 रकबा 0.19 है0, 1066 रकबा 0.86 है0 आराजी खसरा नम्बर 1071 रकबा 0.38 है0, 1077 रकबा 5.36 है0, 1077/1203 रकबा 0.61 है0 कुल किता 12 रकबा 102328 वर्गमीटर आवासीय प्रोजेक्ट प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निवेदन किया गया । उक्त प्रकरण में इस कार्यालय क आदेश संख्या 4365 दिनांक 27.6.2016 से प्रस्तावित भूमि का ले आउट

		प्लान अनुमोदित किया गया है एवं ले आउट के अनुसार कार्य पूर्ण होना अंकित कर प्रोजेक्ट का कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने हेतु आवेदन किया है।
2	आवेदक का नाम	मैसर्स लाईफस्टाई सुपरटेक प्रा0 लि0 गुडगांव, 856 सेक्टर 14 गुरुगांव 12202
3	भूखण्ड का क्षेत्रफल	102328 वर्गमीटर
4	भूखण्ड का उपयोग	आवासीय योजना/प्रोजेक्ट
5	उपखण्ड अधिकारी तिजारा की रिपोर्ट	उपखण्ड अधिकारी तिजारा ने पत्रांक 76 दिनांक 22.2.2022 से ले आउट के अनुसार ही निर्माण कार्य पूर्ण होना अवगत कराया है।
6	उप नगर नियोजक अलवर क्षेत्र अलवर की रिपोर्ट	उप नगर नियोजक अलवर ने पत्रांक 709 दिनांक 19.8.2021 से निम्न बिन्दुओं के आधार पर पूर्णता प्रमाण पत्र सशर्त जारी किया गया है:- 1. अनुमोदित भवन मानचित्र की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे एवं स्वीकृत निर्माण के भिन्न अन्य कोई निर्माण इस कार्यालय की स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा। उक्त भूमि के जिस भाग पर जो उपयोग स्वीकृत किया गया है, उसका उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ नहीं किया जावे। 2. राजस्थान टाउनशीप पॉलिसी 2010, संबंधित सूचनाओं, संशोधनों, एवं मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2020, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया एवं भारतीय मानक ब्यूरो के विभिन्न आई.एस. कोड के उपबन्धों एवं निर्धारित मापदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे। 3. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी नियमों, परिपत्रों, अधिसूचनाओं, आदेशों एवं निर्देशों आदि की पालना की जावेगी।
7	विचारणीय बिन्दु	उपखण्ड अधिकारी तिजारा, उप नगर नियोजक अलवर एवं बैठक में उपस्थित सदस्यों से विचार विमर्श कर आवेदित कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया जाना उचित है या नहीं ?
8	निर्णय	कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने हेतु स्थानीय निकायों में निर्धारित चैक लिस्ट के अनुसार उपखण्ड अधिकारी, उप नगर नियोजक से संयुक्त मौका रिपोर्ट प्राप्त की जाकर आगामी बैठक में रखे जाने हेतु निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दू संख्या दो

समिति बैठक	प्रथम
दिनांक	23.6.2022
एजेण्डा	द्वितीय
1	विषय
	प्रार्थना पत्र मै0 एवीएस कान्ट्रेक्टर्स प्रा0लि0, बाबत मै0 एवीएस कान्ट्रेक्टर्स प्रा.लि., मैसर्स महेश इन्स्टाटेक प्रा0लि0 डी 105 विवेक विहार नई दिल्ली, श्रीमति सुचित्रा पत्नि श्री सुरेश शर्मा निवासी 899 सेक्टर 21, हाउसिंग गोर्ड कालोनी, फरीदाबाद, श्री सुरेशचन्द शर्मा पुत्र श्री दयाराम शर्मा निवासी 899 सेक्टर 21 हाउसिंग बोर्ड कालोनी एवं मैसर्स अरोमा आशियाना ब्राईवेट लि0, वीजी 11, ओजोन सेक्टर सेक्टर 12 फरीदाबाद के मध्य हुई आपसी सहमति पत्र दिनांक 10.09.2020 के अनुसार जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा आवासीय प्रोजेक्ट प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित आराजी वाके गांव चावण्डीखुर्द, जगमलहेडी एवं भाभडाका तहसील तिजारा में भूमि का इकजाई अनुमोदित ले आउट प्लान के

		अनुसार किये गये निर्माण का कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने।
2	आवेदक का नाम	मैसर्स ए.वी.एस.कान्स्ट्रक्ट्स प्रा0 लि0, यूजी-9, ओजोन सेन्टर, सैक्टर 12, फरीदाबाद
3	भूखण्ड का क्षेत्रफल	96748 वर्ग मीटर
4	भूखण्ड का उपयोग	आवासीय योजना/प्रोजेक्ट
5	उपखण्ड अधिकारी तिजारा की रिपोर्ट	अप्राप्त
6	उप नगर नियोजक अलवर क्षेत्र अलवर की रिपोर्ट	अप्राप्त
7	विचारणीय बिन्दु	1. मैसर्स ए.वी.एस. कान्स्ट्रक्ट्स प्रा0 लि0 90/33, द्वितीय मंजिल, ओखला फेज-1, नई दिल्ली के पक्ष में जिला कलक्टर के (1) आदेश सख्या 885 दिनांक 16.2.2015 से ग्राम चावण्डी खुर्द तहसील तिजारा की आराजी खसरा नम्बर 197 रकबा 0.37है0, 198 रकबा 0.71है0, 201 रकबा 0.5740है0, 203 रकबा 0.37है0 एवं (2) आदेश सख्या 9016 दिनांक 14.11.2018 से गांव चावण्डीखुर्द की आराजी ख0 न0 204 रकबा 0.14 है0, ख0 न0 205 रकबा 0.10है0 किता 2 रकबा0.24है0 तथा गांव आराजी खसरा नम्बर 250 रकबा 0.73है0, ख0 न0 251 रकबा 0.33है0 किता 2 रकबा1.06है0 एवं (3) आदेश सख्या 8780 दिनांक 24.10. 2018 से गांव आराजी ख0न0 533/212 रकबा 0.54है0, ख0न0 543/240 रकबा 0.58है0, ख0न0 541/241 रकबा 0.12है0, ख0न0 242 रकबा 0.19है0, ख0न0 243 रकबा 0.15 है0 किता 5 रकबा 1.58है0 व गांव जगमलहेडी की आराजी खसरा नम्बर 297/258 रकबा 0.12है0 एवं (4) आदेश सख्या 1211 दिनांक 23. 06.2020 से चावण्डीखुर्द की आराजी ख0न0 245 रकबा 0.14है0, आ0ख0न0 246 रकबा 0.14है0, आ0ख0न0 535/247 रकबा 0. 46है0, किता 3 रकबा 0.74है0 तथा (5) आदेश सख्या 2563 दिनांक 07.9.2020 से गांव चावण्डीखुर्द की आराजी ख0 न0 236/1 रकबा 0.370 है0, ख0 न0 236/2 रकबा 0.944है0, ख0न0 542/241/1 रकबा 0.860 है0, ख0न0 542/241/2 रकबा 0.317है0 किता 4 रकबा 0.2491है0 व गांव जगमलहेडी की आ0ख0न0 286/249 रकबा0.1875है0, ख0न0 285/249/1 रकबा 0.1875है0, ख0न0 288/ 254 रकबा0.900है0, ख0 न0 287/ 254/1 रकबा 0.1000है0 किता 4 रकबा 0.5650है0 तथा (6) आदेश सख्या 813 दिनांक 16.4.2019 से गांव भाभडाका की आराजी ख0न0 1373/1199 रकबा 0.25है0 जिला कलक्टर द्वारा संपरिवर्तित की जा चुकी है। 2. मैसर्स महेश इन्फ्राटेक प्रा0लि0 105 विवेक विहार दिल्ली के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी तिजारा ने (1) आदेश सख्या 1541-45 दिनांक 10.5.2019 से गांव चावण्डीखुर्द की आ0ख0 न0 534/212 रकबा 5400वर्गमीटर एवं (2) आदेश सख्या 71-73 दिनांक 29.6.2020 से गांव चावण्डीखुर्द की आ0ख0 न0 536/247 रकबा 4600वर्गमीटर उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा



		संपरिवर्तित की जा चुकी है। 3. श्री सुरेश शर्मा पुत्र श्री दयाराम शर्मा एवं श्रीमति सुचित्रा पत्नि श्री सुरेश शर्मा निवासियान म0न0 899/21सी, फरीदा बाद के पक्ष में आदेश सख्या 824 दिनांक 16.4.2019 से गांव जगमलहेडी आराजी खसरा नम्बर 256 रकबा 0.11है0, 257 रकबा 0.43, 298/258 रकबा 0.6333है0 किता 3 रकबा 1.1733 है0 जिला कलक्टर द्वारा संपरिवर्तित की जा चुकी है। 4. मैसर्स अरोमा आशियाना प्रा0लि0 यूजीएफ 11, ओजोन सेंटर सेक्टर 12 फरीदाबाद के पक्ष में आदेश आदेश सख्या 1899 दिनांक 17.7.2019 से गांव चावण्डीखुर्द की आ0ख0न0 546/199 रकबा 0.2356है0,ख0न0548/200 रकबा 0.4378 है0 किता 2 रकबा 0.6734है0 जिला कलक्टर अलवर द्वारा भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन)नियम, 2007 के नियम 9 के तहत आवासीय प्रोजेक्ट हेतु संपरिवर्तन किया जा चुका है। (कुल रकबा 96748वर्गमीटर) का लेआउट दिनांक 21.10.2020 को आयोजित जिला स्तरीय बैठक में किया जा चुका है। उक्तानसार उपखण्ड अधिकारी तिजारा, उप नगर नियोजक अलवर एवं बैठक में उपस्थित सदस्यों से विचार विमर्श कर,कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया जाना उचित है या नहीं ?
8	निर्णय	उपखण्ड अधिकारी एवं उप नगर नियोजक अलवर से रिपोर्ट प्राप्त नहीं है। कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने हेतु स्थानीय निकायों में निर्धारित चैक लिस्ट के अनुसार उपखण्ड अधिकारी, उप नगर नियोजक से संयुक्त मौका रिपोर्ट प्राप्त की जाकर आगामी बैठक में रखे जाने हेतु निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दू सख्या तीन

समिति बैठक	प्रथम
दिनांक	23.6.2022
एजेण्डा	तृतीय
1	विषय प्रार्थना पत्र मैसर्स प्योर आवास बिल्डर्स एलएलपी,फ्लेट 526, 5वी मंजिल, टावर-ए, पार्क सेन्ट्रा, सेक्टर-30, गुरुग्राम 122001 बाबत गांव कुंदनसिंह पुरा तहसील नीमराणा की खसरा नम्बर 1077 रकबा 0.12है0, ख.न. 1078 रकबा 0.49है0, ख.न. 1079 रकबा 0.29है0, ख.न. 1080 रकबा 0.44है, ,स. न. 1081 रकबा 0.59है0, ख.न. 1082 .49है0 किता 6 रबा 2.42है0 आवासीय योजना/प्रोजेक्ट हेतु आदेश सख्या 2823 दिनांक 11.9.2020 से किये गये संपरिवर्तन के अनुसार मुख्य मंत्री जन आवास योजना में ले आउट प्लान अनुमोदन करने हेतु आवेदन किया गया है।
2	आवेदक का नाम मैसर्स प्योर आवास बिल्डर्स एलएलपी,फ्लेट 526, 5वी मंजिल, टावर-ए, पार्क सेन्ट्रा, सेक्टर-30, गुरुग्राम 122001
3	भूखण्ड का क्षेत्रफल 24200वर्गमीटर
4	भूखण्ड का प्रस्तावित उपयोग आवासीय योजना/प्रोजेक्ट मुख्य मंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत लेआउट अनुमोदन

(Handwritten signature)

5	उपखण्ड अधिकारी नीमराणा की राय	मौके पर भूमि खाली है।
6	उप नगर नियोजक अलवर क्षेत्र अलवर की रिपोर्ट	उप नगर नियोजक अलवर ने पत्रांक 746 दिनांक 02.9.2021 से निम्न बिन्दुओं के आधार पर मानचित्र सही मानते हुए निम्न शर्तों के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है:- 1. अनुमोदित मानचित्रों के अनुसार न्यूनतम विक्रय योग्य क्षेत्र 70 प्रतिशत रखते हुए ईडब्ल्यूएस प्लॉटस न्यूनतम 20 प्रतिशत एवं एलआईजी प्लॉटस न्यूनतम 50 प्रतिशत रखे जाना अनिवार्य है। साथ ही पहुंचमार्ग न्यूनतम 9मीटर होना अनिवार्य है। 2. प्रस्तावित भूमि पर अनुमोदित मानचित्र के अनुसार ही निर्माण किया जावेगा। रास्तों, पार्किंग, सुविधा क्षेत्र आदि को अनुमोदित मानचित्र के अनुसार ही रखा जाना सुनिश्चित किया जावेगा। अनुमोदित मानचित्र से भिन्न निर्माण कार्य किये जाने पर स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी। 3. प्रस्तावित भूखण्ड की भुजाएँ, मापें एवं क्षेत्रफल अनुमोदित साईट प्लान के अनुसार ही रखी जावेगी। 4. राजस्थान टाउनशीप पालिसी 2010, मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 एवं समय समय पर जारी संशोधनों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावेगी। 5. भवन का निर्माण माडल राजस्थान भवन विनियम 2020, नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया एवं भारतीय मानक ब्यूरो के विभिन्न आई.एस. कोड के प्रावधानानुसार किया जावेगा। 6. नियमानुसार आवश्यक समस्त शपथ पत्र आवेदक से लिये जावेगे। व स्वामित्व एवं क्षेत्रफल की गणना कलक्टर स्तर पर की जावेगी। भूखण्ड की मापे व क्षेत्रफल अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुसार रखा जावेगा। 7. वर्षा जल संचयन हेतु जल संचयन संरचना का निर्माण इस विषय के तकनीकीविज्ञ से मार्गदर्शन में करवाया जाना सुनिश्चित करे। 8. प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल के प्रत्येक 50 वर्गमीटर के लिए कम से कम दो वृक्षों के अनुपात में वृक्ष लगाने होंगे, जिनका निकट भविष्य में अनुमानित उंचाई कम से कम 6मीटर हो। 9. भवन मानचित्र में दर्शायी गई मापों एवं स्केल में गलत अंकन होने पर यह स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी। 10. प्रस्तावित भूमि का सीमांकन पटवारी/तहसीलदार द्वारा कराया जाकर ही भवन का निर्माण किया जावेगा। 11. राज्य सरकार के निर्देशानुसार आवेदक भवन निर्माण हेतु नियमानुसार शुल्क जमा कराने हेतु बाध्य होगा एवं देय शुल्क की गणना व जमा कराना कलक्टर स्तर से सुनिश्चित किया जावेगा। 12. राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं/आदेशों/परिपत्रों/निर्देशों/नियमों आदि की पालना सुनिश्चित कराते हुए यह भी सुनिश्चित किया जावे कि माननीय न्यायालयों के आदेशों की अवहेलना नहीं हो। 13. संपरिवर्तन आदेश एवं अनुमोदित मानचित्र के समस्त दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी। उल्लंघन की स्थिति में स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
7	विचारणीय बिन्दु	संपरिवर्तन नियम 2007 के तहत जारी एवं तत्समय नगर नियोजक द्वारा लगाई गई शर्तों, राजस्व विभाग से प्राप्त मार्गदर्शन, उप नगर नियोजक अलवर की टिप्पणी एवं बैठक में उपस्थित सदस्यों से विचार विमर्श कर आवेदित भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास 2015 के तहत ले आउट प्लान

		अनुमोदित किया जाना उचित है या नहीं ?
8	विचार विमर्श किये गये बिन्दु व लिया गया निर्णय	विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है आवेदक को मुख्यमंत्री जन आवास 2015 के तहत प्रस्तावित लेआउट/भवन मानचित्र में प्रस्तावित सड़कें 9 मीटर से कम चौड़ी अनुज्ञेय नहीं होगी एवं संपरिवर्तन नियम 2007 के प्रावधानों के अनुसार कुल भूमि का 60:40 के अनुपात क्षेत्रफल जन आवास में अनुज्ञेय किये जा सकते हैं। उक्तानुसार आवेदक द्वारा मानचित्र प्राप्त होने के बाद परीक्षण आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

एजेन्डा बिन्दु सख्या चार

समिति बैठक		प्रथम
दिनांक		23.6.2022
एजेण्डा		चतुर्थ
1	विषय	प्रार्थना पुत्र श्री हेमन्त प्रकाश पुत्र श्री रामप्रकाश जाटव निवासी मकान नम्बर 545 सैक्टर ए पाकिट बी एण्ड सी, बसन्त कुँज नई दिल्ली बाबत गांव टहला की संपरिवर्तित आ0 खसरा नम्बर 38 रकबा 0.22है0, 46रकबा 0.61हैक्टर एवं 45रकबा 0.57है0 किता 3 रकबा 1.40है0 (14000व0मी0) का वाणिज्यिक (रिसोर्ट) प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु आवेदन किया है।
2	आवेदक का नाम	श्री हेमन्त प्रकाश पुत्र श्री रामप्रकाश जाटव निवासी मकान नम्बर 545 सैक्टर ए पाकिट बी एण्ड सी, बसन्त कुँज नई दिल्ली
3	वास्तुविद का नाम	श्री अमरनाथ सैनी
4	वास्तुविद का पंजीयन	-
5	भूखण्ड क्षेत्र0	14000वर्गमीटर
6	उपयोग	वाणिज्यिक (रिसोर्ट)
8	शुल्क	गणना अपेक्षित/ जमा कराना अपेक्षित
7	स्वामित्व रिपोर्ट	श्री हेमन्त प्रकाश पुत्र श्री रामप्रकाश जाटव निवासी मकान नम्बर 545 सैक्टर ए पाकिट बी एण्ड सी, बसन्त कुँज नई दिल्ली
8	मौका रिपोर्ट	निर्माणाधीन
9	प्रकरण के तथ्य:- श्री हेमन्त प्रकाश पुत्र श्री रामप्रकाश जाटव निवासी मकान नम्बर 545 सैक्टर ए पाकिट बी एण्ड सी, बसन्त कुँज नई दिल्ली के पक्ष में राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के तहत इस कार्यालय के आदेश सख्या 4459 दिनांक 11.7.2018 से गांव टहला की आ0 खसरा नम्बर 38 रकबा 0.22है0, 46रकबा 0.61हैक्टर एवं 45रकबा 0.57है0 किता 3 रकबा 1.40है0 (14000व0मी0) का वाणिज्यिक (रिसोर्ट) हेतु संपरिवर्तन किया गया, जिसके भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु आवेदन किया है।	
10	तकनीकी विश्लेषण	उप नगर नियोजक अलवर क्षेत्र अलवर ने पत्रांक एएलआर/1620/भ0मा0/20-21/352 दिनांक 10.3.2021 से प्रावधानों के अनुसार मानचित्र तकनीकी रूप से सही बताते हुए निम्न शर्तों के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाये हैं:- 1. भवन निर्माण मानचित्र के अनुसार केवल भूतल व प्रथम तल सलग्न



		संशोधित नक्शों के अनुसार ही देय होगा। - भवन निर्माण सलग्न अनुमोदित भवन मानचित्रों के अनुसार ही किया जावेगा, अनुमोदित भवन मानचित्रों के अनुसार बी.ए.आर., भू-आच्छादन व पार्किंग हेतु नियमानुसार प्रावधानों की पूर्ण पालना एवं रिसोर्ट में कुल पार्किंग के अतिरिक्त 10 प्रतिशत आगन्तुक पार्किंग छुड़वाना सुनिश्चित किया जावे - मॉडल भवन विनियम 2020 व राजस्थान टाउनशीप पॉलिसी 2010 की समस्त शर्त मान्य होगी, उनकी पालना पूर्ण रूप से की जावेगी एवं सेटबैक में किसी प्रकार का स्थाई निर्माण नहीं किया जावेगा। - भवन का निर्माण माडल भवन विनियम 2020, नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया एवं भारतीय मानक ब्यूरो के विभिन्न आई.एस.कोड के प्रावधानानुसार किया जावेगा। - नियमानुसार आवश्यक समस्त शपथ पत्र जिसमें नियमानुसार भूकम्प से सुरक्षा हेतु आर्किटेक्स, प्रार्थी व स्ट्रेक्चर अभियन्ता का शपथ प. अनिवार्य होने के कारण आवेदक से लिये जावेगें। स्वामित्व व क्षेत्रफल की गणना कलक्टर के स्तर पर की जावेगी। भूखण्ड की मापें व क्षेत्रफल अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुसार रखा जावेगा। - सेप्टिक टैंक, सिवर लाईन कनेक्शन, वर्षा के पानी संरक्षण सयंत्र व सौर उर्जा सयंत्र का प्रावधान किया जावेगा - प्रस्तावित भूखण्ड भुजाएँ व क्षेत्रफल अनुमोदित साईट प्लान के अनुसार रखा जावेगा। - राज्य सरकार के निर्देशानुसार आवेदक भवन निर्माण हेतु नियमानुसार शुल्क जमा कराने हेतु बाध्य होगा एवं देय शुल्क की गणना व जमा कराना कलक्टर स्तर से सुनिश्चित किया जावेगा। - संपरिवर्तन आदेश की समस्त शर्तों की पालना सुनिश्चित करनी होगी। - स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही प्रस्तावित भूमि में निर्माण कार्य किया जावेगा। - अधिवास व पूर्ण प्रमाण पत्र के पश्चात ही भवन का वाणिज्यिक उपयोग में लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। - अगर प्रार्थी नक्शों के अनुसार भवन निर्माण नहीं करता है तो स्वीकृति स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी। - प्रस्तावित भूखण्ड के उपर से यदि कोई विद्युत लाईन गुजर रही है, तो ऐसे भूखण्डों पर भारतीय विद्युत 1956 व राज्य सरकार द्वारा जारी समय-समय पर जारी आदेशों/परिपत्रों के अनुसार सुरक्षात्मक दूरी रखी रखते हुए कार्यवाही की जावे एवं इसके नियम 79 व 80 के अन्तर्गत प्रतिबंधित भूमि अथवा भवन का संपरिवर्तन नहीं माना जावेगा। - प्रकरण में गुलाब कोठारी बनाम सरकार वाद संख्या 1554/2004 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों व राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित की जावे। - राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जार अधिसूचनाओं/आदेशों/परिपत्रों/निर्देशों/नियमों आदि की पालना सुनिश्चित कराते हुए यह भी सुनिश्चित किया जावे कि माननीय न्यायालयों के आदेशों की अवहेलना नहीं हो। - संपरिवर्तन आदेश एवं अनुमोदित मानचित्र के समस्त दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी। उल्लंघन की स्थिति में स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
--	--	---

✓

11	विचारणीय बिन्दू	संपरिवर्तन नियम 2007 के तहत जारी एवं उप नगर नियोजक अलवर की टिप्पणी एवं बैठक में उपस्थित सदस्यों से विचार विमर्श कर आवेदित भूमि भवन मानचित्र अनुमोदित किया जाना उचित है या नहीं ?
12	निर्णय	प्रकरण में वन एवं पर्यावरण विभाग से जारी परिपत्र दिनांक 13.5.2016 के प्रत्याहृत किये जाने के कारण प्रार्थी के पक्ष में किये गये संपरिवर्तन आदेश संख्या 4459 दिनांक 11.7.2018 के निरस्तीकरण हेतु नोटिस जारी किया जाना पाया गया है। जिसका जबाब प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है। इस क्रम में प्रथक से कार्यवाही विचाराधीन है। संपरिवर्तन आदेश निरस्तीकरण के संबंध में विचाराधीन कार्यवाही का सक्षम स्तर से अंतिम निर्णय लिये जाने के बाद आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय सर्व सम्मति से लिया गया।

एजेण्डा बिन्दू संख्या पांच

समिति बैठक	प्रथम
दिनांक	23.6.2022
एजेण्डा	पंचम
1	विषय
2	आवेदक का नाम
3	भूमि का क्षेत्रफल
4	भूमि का प्रस्तावित उपयोग
5	उपखण्ड अधिकारी तिजारा की रिपोर्ट
6	उप नगर नियोजक अलवर क्षेत्र अलवर की रिपोर्ट

प्रार्थना पत्र प्राधिकृत अधिकारी मैसर्स एम्बीशन बिल्डर्स प्रा० लि० एवं मैसर्स स्टार सिटी बिल्ड होम प्रा० लि०, प्लॉट संख्या 166, भू तल, उद्योग विहार, फेज प्रथम, गुरुग्राम 122016 द्वारा संयुक्त रूप से इस कार्यालय मैसर्स एम्बीशन के पक्ष में जारी आन लाईन प्रमाण 112908 दिनांक 17.4.22 से गांव चावण्डी खुर्द की आ०ख०न० 522/36 रकबा 0.05है०, 529/37 रकबा 0.1748है०, 531/46रकबा 0.8490है०, 60 रकबा 0.18है०, 61 रकबा 0.18है०, 62 रकबा 0.19है०, 55 रकबा 0.47है०, 56 रकबा 0.14है०, 57 रकबा 0.14है० किता 9 रकबा 2.3738है० एवं आन लाईन प्रमाण पत्र संख्या 112911 दिनांक 17.4.2022 से मैसर्स स्टारसिटी के पक्ष में गांव माटावास की आ०ख०न० 234रकबा 0.30है०, 235 रकबा 0.14है०, 236 रकबा 0.14है०, 237 रकबा 0.58है०, 238 रकबा 0.65 है०, 239 रकबा 0.61है० किता 6 रकबा 2.42है० कुल किता 15 रकबा 47938 वर्गमीटर भूमि का औद्योगिक क्षेत्र प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन

प्राधिकृत अधिकारी मैसर्स एम्बीशन बिल्डर्स प्रा० लि० एवं मैसर्स स्टार सिटी बिल्ड होम प्रा० लि०, प्लॉट संख्या 166, भू तल, उद्योग विहार, फेज प्रथम, गुरुग्राम 122016

47938वर्गमीटर

औद्योगिक क्षेत्र विकास प्रयोजनार्थ

राजस्व रेकार्ड में आवेदकों के नाम दर्ज है। मौके पर खाली है, सीमा संबंधित कोई विवाद नहीं है।

डीटीपी अलवर ने पत्रांक 908 दिनांक 7.6.2022 से एसटीपी एनसीआर जयपुर के पत्रांक 712 दिनांक 1.6.2022 से निम्न बिन्दुओं के आधार पर मानचित्र सही मानते हुए निम्न शर्तों के साथ अनुमोदन हेतु प्रेषित किये है:-

1. प्रश्नगत भूमि अलवर-भिवाडी एसएच 25 मेगा हाईवे पर स्थित है। नियमानुसार सड़क मध्य से 30मीटर भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु छोड़ी जानी होगी, जिसमें आवेदक की आ रही भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु निःशुल्क छोड़ी जानी होगी, सड़क मार्गाधिकार के पश्चात 30मीटर भूमि ग्रीन बफर हेतु आरक्षित रखी जावेगी।
2. प्रश्नगत भूमि पर भवन निर्माण के पैरामीटर्स एवं भूखण्डों के

(Signature)

		सेटवेक को राजस्थान स्टेट औद्योगिक विकास एवं विनिवेश कार्पो लि० रीको के कार्यालय आदेश सख्या 19/2021 दिनांक 4.9.21 के क्रम में जारी रीको भवन विनियमों 2021 के अनुसार रखे जाने होंगे। 3. प्रस्तावित भूमि के आस पास के क्षेत्र में स्थित राजस्व रेकार्ड में दर्ज/मौके पर स्थित तालाब, नालों, जलाशयों, जलभराव, निकासी, संग्रहण आदि से प्रभावित भूमि नहीं होने तथा पहाड की तलहटी में स्थित नहीं होने एवं रिट याचिका सखं 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं होने की सुनिश्चितता उपखण्ड अधिकारी स्तर से की जानी होगी। 4. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भूमि/स्थल से पानी की निकासी के उचित प्रावधान/प्रबन्ध किये जावेगे। जिसके लिए प्रार्थी विकासकर्ता स्वयं उत्तरदायी होगा। 5. प्रस्तावित स्थल/भूमि से होने वाले अपशिष्ट का निष्पादन, पानी के निकासी एवं ठोस कचरा प्रबन्धन के उचित प्रावधान आवेदन स्वयं के स्तर से किये जायेगे। जिसके लिए विकासकर्ता स्वयं उत्तरदायी होगा। 6. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश निर्देशानुसार वर्षा जल संग्रहण हेतु रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का प्रावधान किया जाना होगा। 7. प्रस्तावित भूमि में से किसी गैस पाईप लाईन के नहीं गुजरने की सुनिश्चितता उपखण्ड अधिकारी स्तर पर की जावेगी। 8. प्रश्नगत भूमि में से 132 केवी की एचटी विधुत लाईन गुजर रही है, अतः विधुत नियामक आयोग के प्रावधानों के अनुसार सुरक्षात्मक दूरी मानचित्र में दर्शाये अनुसार रखी जानी होगी। सुरक्षात्मक दूरी के नीचे किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा। साथ ही नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जानी होगी। 9. भूमि संपरिवर्तन/लेआउट अनुमोदिन बाबत यदि किसी अन्य विभाग की अनापत्ति अपेक्षित है तो विकासकर्ता इस प्रकार की पूर्ति के लिए बाध्य होगा। 10. अनुमोदित ले आउट प्लान के अनुसार औद्योगिक गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों अनुज्ञेय नहीं होंगी। 11. स्टार्म वाटर ड्रेनेज प्लान तैयार करवाते हुए मौके पर ड्रेनेज की उचित निकासी की व्यवस्था प्रार्थी को करनी होगी। आवेदक भूमि के पास कोई नदी/नाला हो तो राजस्थान उप क्षेत्रीय योजना 2021 के अनुरूप 100मीटर/50मीटर का ग्रीन बफर छोडना होगा। 12. आवेदित भूमि बाबत यदि कोई तथ्य छुपाया गया है तो यह अनुमति स्वतः निरस्त मानी जावेगी। 13. मौके पर स्वीकृत प्लान एवं पूर्व में समीपीय भूमि के स्वीकृत प्लान यदि कोई हो में छुडवाई सडकों को आपस में मौके पर एक कदूसरे से लिंक किया जाना सुनिश्चित किया जावे, जो सार्वजनिक रास्ते के रूप में प्रयोग में लाई जावेगी। 14. प्रार्थी द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं उक्त अधिनियम के तहत बने नियमों आदि (यदि लागू होते हैं) के सभी सम्बंधित प्रावधानों की दृढतापूर्वक पालना की जावेगी।
--	--	---

W

		15. स्थानीय निकाय द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि आवेदित भूमि नगरपालिका/आवासन मण्डल या अन्य किसी योजना का भाग नहीं है। 16. राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं/आदेशों/परिपत्रों/निर्देशों/नियमों आदि की पालना सुनिश्चित कराते हुए यह भी सुनिश्चित किया जावे कि माननीय न्यायालयों के आदेशों की अवहेलना नहीं हो। 17. प्रकरण में गुलाब कोठारी बनाम सरकार वाद सख्या 1554/2004 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों व राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित की जावे।
7	विचारणीय बिन्दु	संपरिवर्तन नियम 2007 के तहत जारी एवं वरिष्ठ/उप नगर नियोजक अलवर की टिप्पणी एवं बैठक में उपस्थित सदस्यों से विचार विमर्श कर आवेदित भूमि का औद्योगिक क्षेत्र विकास हेतु संयुक्त रूप से ले आउट प्लान अनुमोदित किया जाना उचित है या नहीं ?
8	निर्णय	विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि दो ईकाईयों द्वारा संयुक्त रूप प्रस्तुत ले आउट अनुमोदन के लिए समझौता पत्र (एमओयू) प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदकों द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा जांचे गये मानचित्र एवं कॉलम सख्या 6 में वर्णित शर्तों की पालना की जावेगी। उपखण्ड अधिकारी एवं अधिशाषी अभियन्ता, अभियांत्रिकी जिला परिषद अलवर की राय के आधार पर संपरिवर्तन नियम 2007 के प्रावधानों/नियमों एवं अन्य प्रभावी नियमों की पालना आवेदकों द्वारा की जावेगी। आवेदकों द्वारा आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत किये जायेंगे। संपरिवर्तन नियमों की पालना सुनिश्चित की जावेगी। प्रश्नगत भूमि पर भवन निर्माण के पैरानीटर्स एवं भूखण्डों के सेटबैक को राजस्थान स्टेट औद्योगिक विकास एवं विनिवेश कार्पोरेशन लिमिटेड के कार्यालय आदेश सख्या 19/2021 दिनांक 4.9.21 के क्रम में जारी रीको भवन विनियमों 2021 के अनुसार रखे जाने होंगे। जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं उक्त अधिनियम के तहत बने नियमों आदि (यदि लागू होते हैं) के सभी सम्बंधित प्रावधानों की पड़तापूर्वक पालना की जावेगी। राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं/आदेशों/परिपत्रों/निर्देशों/नियमों आदि की पालना सुनिश्चित कराते हुए यह भी सुनिश्चित किया जावे कि माननीय न्यायालयों के आदेशों की अवहेलना नहीं हो। राज्यादेश की प्रतिकृतियों की स्थिति में ले आउट अनुमोदन आदेश स्वतः की निरस्त माने जायेंगे। आवेदकों द्वारा उक्तानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने पर प्रस्तुत ले आउट प्लान अनुमोदन का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

उक्तानुसार बैठक में विचार विमर्श कर एजेण्डा बिन्दु सख्या एक, दो, तीन, चार एवं पांच पर वर्णित प्रकरण वार वर्णित निर्णय लिया गया एवं बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई।

सदस्य सचिव
जिला स्तरीय कमेटी एवं अतिरिक्त
जिला कलक्टर प्रथम अलवर
दिनांक 28/06/2022

क्रमांक:राजस्व/2022/ 4042

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. उपखण्ड अधिकारी तिजारा/भीमराणा/राजमठ जिला अलवर
02. अधिशाषी अभियन्ता, (अभियांत्रिकी) जिला परिषद अलवर।
03. उप नगर नियोजक अलवर क्षेत्र अलवर।
04. प्राधिकृत अधिकारी श्री/मैसर्स 20.वी.06. का.ने.एल.एल. 049 डोजक सेक्टर

रू. 12. करीब 12

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
प्रथम, अलवर